

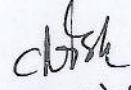
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/

दिनांक: 16-6-2014

कार्यालय आदेश

वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक प.10 (46) वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 06.09.2013 के अनुसरण में सेवानिवृत्त/ सेवा में रहते हुये मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों की पेंशन संशोधन के कार्य हेतु सहायक लेखाधिकारियों को सेकिन्डमेन्ट के आधार पर दिनांक 31.03.2014 तक पदस्थापित किया गया था, को वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.10 (7) वित्त/राजस्व/2013 लूज दिनांक 02.06.2014 के अनुसरण में सेकिन्डमेन्ट बेसिस पर कार्यरत सहायक लेखाधिकारियों की अवधि दिनांक 30.09.2014 तक बढ़ाई जाती है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/2430-58

दिनांक: 16-6-2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष
- 3 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
- 4 संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, बीकानेर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा
- 5 श्री सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय
- 6 निजी सहायक निदेशक महोदया।
- 7 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 8 गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।


(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)